WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

OCTOBER 2024

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax: 0121-4346686**

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Gurubachan Malik

INDEX

- 79वी वार्षिक सामान्य सभा सम्पन्न
- जीएसटी में धोखाधड़ी के आरोप न होने पर ही बचेगा ब्याज व जुर्माना
- क्या डेमो कार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले सकते हैं वाहन डीलर? टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया नियम
- SME Loans: नकदी की आवक के आधार पर एसएमई को कर्ज देने पर विचार
- पीपीएफ खाते में गड़बड़ी होने पर ब्याज में कटौती
- गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट
- यूपी में बिजली कनेक्शन लेना होगा सस्ता
- UP Government Offers 50% Subsidy On CNG Generators For MSMEs
- DGFT Announces Extended Import Window For Electronics
- FIEO Urges Government to Extend Interest Equalisation Scheme for Exporters by 5 Years
- RoDTEP scheme extended by a year, rates lowered
- न्यूनतम मजदूरी परिपत्र

ॐ

79वी वार्षिक जनरल मीटिंग सम्पन्न

वेस्टर्न यूपी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 79वीं वार्षिक जनरल मीटिंग अध्यक्ष डा॰. रामकुमार गुप्ता जी की अध्यक्षता में दिनांक 30 सितंबर 2024 चैंबर में आयोजित की गई जिसमें सर्वसम्मति से वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट एवं ऑडिट खाते, वर्ष 2024-25 का आय व्यय का बजट एवं अगामी वर्ष के लिए सी.ए मै० वी. एस. गुप्ता एंड कंपनी को ऑडिटर नियुक्त किया गया। काउंसिल मे 11 सदस्य तीन वर्ष (2024-27) के लिए निर्विरोध चुने गए - श्री चांद कपूर, श्री अनुराग अग्रवाल, श्री आशीष गोयल, श्री अरुण गुप्ता, श्री अतुल भूषण गुप्ता, श्री अश्वनी गुप्ता, श्री राहुल दास, श्री अशोक छारिया, श्री सुरेश गोयल, श्री शशांक जैन एवं श्री संजीत सिंह सालवन।

जीएसटी में धोखाधड़ी के आरोप न होने पर ही बचेगा ब्याज व जुर्माना

जीएसटी में धोखाधड़ी के आरोप न होने पर ही बचेगा ब्याज व जुर्माना यदि आप पर जीएसटी अधिकारियों ने धोखाधड़ी के आरोप नहीं लगाए हैं और जीएसटी के पहले तीन वित्त वर्ष में कोई नोटिस नहीं आया है तो विभाग की एमनेस्टी स्कीम में 31 मार्च, 2025 तक शामिल होकर ब्याज और जुर्माना बचा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको अपना टैक्स चुकाना होगा। विवादों की संख्या कम करने के लिए जीएसटी ने यह योजना लागू की है।

2017-18, 2018-19 और 2019-20 में यदि उद्यमियों और कारोबारियों के पास धारा 73 के नोटिस आए हैं और उनमें टैक्स के साथ ब्याज और जुर्माना चुकाने के लिए भी कहा गया है, तब आप इस योजना में शामिल हो सकते हैं। योजना सिर्फ उनके लिए है, जिन पर टैक्स चोरी का आरोप नहीं है। जीएसटी अधिकारियों ने अगर धोखाधड़ी करके कर अपवंचना का आरोप लगाया है तो आप इस योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे। मर्चेंट्स चैंबर आफ उत्तर प्रदेश की जीएसटी कमेटी के सलाहकार सीए धर्मेन्द्र श्रीवास्तव के मुताबिक इसमें सिर्फ टैक्स को चुकाना होगा। विवादों की संख्या में भी कमी आएगी, क्योंकि अगर आपका मामला अपील में चल रहा है तो यह लिखकर देना होगा कि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं

INDKRAFT EXPORTS

Manufacturers and Exporters of:

Indian Handicrafts, Silk, Woollen, Viscose, Cotton Shawls, Stoles, Pareos & Scarves

Bombay Bazar, Meerut Cantt- 250001
Phone: 0121-2664103, 4034103, 4322020
Fax: 91-121-2660063
Mobile: 9536202020
E-mail: info@indkrafts.com

क्या डेमो कार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले सकते हैं वाहन डीलर? टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया नियम

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) का कहना है कि बिक्री प्रोत्साहन के लिए शोरूम पर प्रदर्शित की जाने वाली गाड़ियों पर वाहन डीलर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी है। ऐसा न करने की सूरत में वे इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकेंगे।

कारों की बिक्री पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ ही लागू उपकर भी लगाया जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा है कि बिक्री प्रोत्साहन के लिए शोरूम पर प्रदर्शित किए जाने वाले वाहनों पर वाहन डीलर जीएसटी कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का दावा कर सकते हैं।

हालांकि, सीबीआईसी ने यह साफ किया है कि अगर डीलर कारोबार के दौरान अपने खुद के उद्देश्य के लिए डेमो कारों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें कोई आईटीसी लाभ नहीं मिलेगा। कारों की बिक्री पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ ही लागू उपकर भी लगाया जाता है। अधिकृत वाहन डीलरों को डीलरशिप मानदंडों के अनुरूप अपने शोरूम पर डेमो वाहनों को प्रदर्शित करना जरूरी है।

THE RUG REPUBLIC
Live Smart, Buy Right.
Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS
(150m from Kirti Nagar Fire Station)
Noida: A-32, Sector 63
(Off Nh24, Opp. Indirapuram)
MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)
Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

SME Loans: नकदी की आवक के आधार पर एसएमई को कर्ज देने पर विचार

एसबीआई नकदी की आवक और ऋण गारंटी के आधार पर कर्ज की पात्रता का आकलन करने की ओर बढ़ेगा, कोलेटरल पर निर्भरता घटाने पर जोर

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने छोटे और मझोले उद्योगों (एसएमई) को 5 करोड़ रुपये तक कर्ज देने के के संबंध में नियमों में बदलाव का लक्ष्य रखा है। एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि एसएमई तक ऋण की पहुंच में सुधार के लिए बैंक कोलेटरल के आधार पर कर्ज की पात्रता के मूल्यांकन के बजाय उनकी नकदी की आवक के साथ ऋण गारंटी केआधार पर ऋण की क्षमता का आकलन करने की ओर कदम बढ़ा रहा है।

शेट्टी ने कहा कि इससे कर्ज लेने वालों को ऋणदाता के साथ बने रहने के लिए प्रेरित करने में भी मदद मिलेगी। सीआईआई के कार्यक्रम के दौरान शेट्टी ने कहा, 'अगर आप कोलेटरल पर आधारित उधारी से नकदी की आवक पर आधारित उधारी की ओर जाना चाहते हैं, जो अब संभव है, तो नीति और कर्जदाताओं की सोच में बदलाव करना होगा।

जब तक सोच में बदलाव नहीं हो जाता है, इसके लिए ऋण गारंटी के समर्थन की थोड़ी जरूरत होगी।' जीएसटी के कारण एमएसएमई के औपचारीकरण के साथ उन्हें ऋण देने को लेकर बैंकों का भरोसा बढ़ा है। शेट्टी ने कहा कि कारोबार बढ़ाने के लिए ऋण की जरूरत होती है, लेकिन एसएमई को बढ़ने के लिए प्रशासन और तकनीक में भी सुधार की जरूरत है

VK TYRE INDIA LIMITED

Manufacturers & Exporters of:

Automobile & Agriculture Tyres

Sybly Industrial Area, Pawanpuri,Muradnagar- 201206

Mob. No.: 9568129777, 7900200100

Email: info@vktyre.com

Website: www.vktyre.com

पीपीएफ खाते में गड़बड़ी होने पर ब्याज में कटौती

छोटी बचत योजनाओं में सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना के नियमों में सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं, जो 1 अक्तूबर से लागू होने जा रहे हैं। इनका सीधा असर एक से अधिक पीपीएफ खाता खुलवाने वालों, नाबालिग और एनआरआई के खातों पर पड़ेगा। यदि कोई खाताधारक अपने अनियमित खाते को नियमित नहीं करता है तो उसे मिलने वाले ब्याज में कटौती हो सकती है।

एक से अधिक खाता होने पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए नियम ऐसे अनियमित खातों पर नियंत्रण के लिए ही लाए गए हैं, जो योजना की गाइडलाइन और नियमों को अनदेखा करके खोले गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, कुछ लोगों ने नाबालिगों के नाम पर कई खाते खोल रखे हैं। यही नहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपना नाम दिए बिना अपने बच्चों के नाम से खाते खोले हैं, जबकि नाम देना अनिवार्य है। वहीं, कुछ निवेशकों ने एक से अधिक खाते खुलवा रखे हैं। सरकार ऐसे खातों पर लगाम लगा रही है। नए नियमों के जरिए ऐसे खातों का नियमन किया जाएगा। इस कदम से छोटे खाताधारकों के हितों की भी सुरक्षा होगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जो भी खाताधारक नियमों का पालन नहीं करेगा उनपर कार्रवाई की जाएगी।

डाकघरों के लिए निर्देश : सभी डाकघरों को खाताधारकों से उनकी पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी लेनी होगी। नियमितीकरण आवेदन जमा करने से पहले सिस्टम को अपडेट करना होगा। खाताधारकों को इन बदलावों के बारे में जानकारी देनी होगी।

नाबालिग के मामले में

1. नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ खाते में अभिभावक का नाम होना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी खाते में अभिभावक का नाम नहीं जोड़ा गया है तो उसे अनियमित माना जाएगा। खाता जारी रखने के लिए उसे नियमित कराना होगा।

2. नाबालिगों के पीपीएफ खाते पर डाकघर बचत योजना की ब्याज दर लागू होगी। उसके 18 वर्ष पूरे होने पर पीपीएफ योजना का ब्याज मिलेगा।

3. ऐसे खातों के अंतर्गत के 18 वर्ष के होने के बाद ही परिपक्वता की तिथि गिनी जाती है। यानी जिस दिन नाबालिक वयस्क हो जाता है, उसी दिन नाबालिग खाता खोलने के लिए योग्य पात्र हो जाता है।

1. ऐसे खाताधारक, जिनके एक से अधिक पीपीएफ खाते हैं, उन्हें नियमों का पालन करना होगा और खाते की नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

2. ऐसे निवेशकों को डाकघर या बैंकों में खोले गए एक से अधिक खातों में से प्राथमिक खाते का चयन करना होगा। प्राथमिक खाता उसे माना जाएगा, जहां निवेशक अतिरिक्त खातों को बंद करने के बाद किसी एक को जारी रखना चाहता है।

3. इस प्राथमिक खाते पर ही पीपीएफ योजना की ब्याज दर लागू होगी। यदि निवेशक के दो खाते हैं तो दूसरे को प्राथमिक खाते से जोड़ दिया जाएगा। विलय के बाद प्राथमिक खाते पर लागू ब्याज दर मिलती रहेगी।

4. यदि दोनों खातों को मिलाने के बावजूद निवेश सीमा डेढ़ लाख से अधिक पाई जाती है तो अतिरिक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। दूसरे खाते में अतिरिक्त शेष राशि शून्य प्रतिशत ब्याज दर के साथ वापस कर दी जाएगी।

5. यदि किसी व्यक्ति ने तीसरा खाता भी खोला हुआ है इस पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलेगा। उलटे खाता खोलने की तिथि से ब्याज शून्य हो जाएगा। इसकी पूरी राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

खाता अनियमित कब होता है

1. एक से अधिक खाते : अगर आपके नाम पर एक से अधिक पीपीएफ खाते हैं तो सभी अतिरिक्त खाते अनियमित माने जाएंगे।

2. अधिक जमा राशि: यदि व्यक्ति अपने या नाबालिग के पीपीएफ खाते में सालाना 1.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा करता है तो खाता अनियमित माना जाता है।

3. सालाना योगदान की कमी : अगर आप हर साल न्यूनतम योगदान नहीं करते हैं, तो खाता अनियमित हो जाएगा।

PPF ACCOUNT से जुड़ी अहम बातें

1. बालिग व्यक्ति या नाबालिग के नाम से एक ही पीपीएफ खाता खुलवाया जा सकता है।

2. नाबालिग का खाता उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक ही संचालित कर सकते हैं। खाते में उनका नाम होना अनिवार्य है।

3. खाते में हर साल न्यूनतम 500 रुपये जमा कराना अनिवार्य है। इससे चूकने पर खाता बंद हो सकता है या 50 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

4. खाते की निवेश अवधि 15 साल निर्धारित है। इस अवधि के बाद पांच-पांच वर्ष के लिए खाते को कितनी भी बार आगे बढ़वाया जा सकता है। ।

5. खाते को आगे बढ़वाने के लिए दो विकल्प मिलते हैं। पहला विकल्प है - बिना किसी योगदान के खाते को जारी रखना। इसका मतलब है कि 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद निवेशक खाते में नई रकम नहीं जमा कर पाएगा। वह खाते में जमा राशि पर अगले पांच साल तक ब्याज ले सकता है।

6. दूसरा विकल्प है -15 साल के बाद भी खाते में रकम जमा करना। इसके लिए निवेशक को 15 साल की अवधि पूरी होने से एक साल पहले बैंक या डाकघर जाकर आवेदन करना होगा।

7. आवेदक इस विकल्प को अपनाता है और 15 साल के बाद सालाना न्यूनतम राशि जमा नहीं करता है तो खाता निष्क्रिय हो जाएगा। इसे फिर से शु करवाने के लिए केवाईसी होगी।

एनआईआर के मामलों में यह होगा बदलाव

● वे सभी नागरिक, जो अप्रवासी भारतीय हैं और विदेशों में बस चुके हैं यदि उन सभी का भी पीपीएफ खाता है तो उनके लिए भी नए नियम जारी किए गए हैं।

● अभी एनआरआई के ऐसे पीपीएफ खाते, जिनमें निवास स्थिति के ब्योरे की जरूरत नहीं होती है, उनमें डाकघर बचत योजना का ब्याज मिलता है। अब यह ब्याज 30 सितंबर 2024 तक ही मिलेगा।

● ये नियम पीपीएफ 1968 के तहत खोले गए सक्रिय एनआरआई पीपीएफ खातों पर लागू होगा।

SANGAL PAPERS LTD.

Manufacturing Papers Based on Customer Needs

Newsprint Paper, Superior Kraft Paper, Construction/Pastel Paper, Envelope Grade Paper, Ribbed Kraft Paper, High Bulk Paper Writing/Printing Paper, MG poster Grades & Other Specialized Grades Paper

Regd. Office/ Works
Village Bhainsa, 22 Km.
Meerut-Mawana Road, Mawana
Ph.: 01233-271137, 271464, 271515, 27432

गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एलान किया है कि गंगा एक्सप्रेसवे को सीधे जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए एक नया एक्सप्रेसवे वे बनाया जाएगा। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। गंगा एक्सप्रेसवे से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे तक वाया फर्रुखाबाद एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश औद्योगिक विकास विभाग व संबंधित प्राधिकरणों के अधिकारियों की बैठक में दिए। अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे दिसंबर तक शुरू करने का लक्ष्य रखें।

उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखें, ताकि प्रयागराज कुंभ 2025 में देश-दुनिया के श्रद्धालु गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रा का लाभ उठा सकें। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे केनिर्माण की प्रगति पर संतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि गोरखपुर, संतकबीर नगर आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर के लिए यह कनेक्टिविटी का माध्यम बनेगा।

बुंदेलखंड एक्सप्रेस को चित्रकूट से जोड़ने को कार्रवाई तेज हो

उन्होंने निर्देश दिए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस को चित्रकूट से जोड़ने के लिए कार्रवाई तेज की जाए। यह बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी को और बेहतर करने में बड़ा सहायक होगा। परियोजना को समय से पूरा कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 तक मात्र दो एक्सप्रेसवे वाले इस प्रदेश में आज 6 एक्सप्रेसवे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग भी सात वर्ष पहले की तुलना में लगभग दोगुने हो गए हैं।

रक्षा गलियारे के लिए आए नए प्रस्तावों पर तत्काल निर्णय लें

योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रीज में देश-दुनिया की बड़ी रक्षा उत्पाद निर्माता कंपनियां निवेश कर रही हैं। ऐसे में रक्षा गलियारे के लिए आए प्रस्तावों पर तुरंत निर्णय लिए जाएं।

UP Electricity News: करोड़ों लोगों के लिए खुशखबरी, यूपी में बिजली कनेक्शन लेना होगा सस्ता! अब केवल लगेंगे इतने रुपये

उत्तर प्रदेश की जनता को बढ़ते बिजली कनेक्शन के दरों से बड़ी राहत मिलने वाली है. क्योंकि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है. UPPCL यूपी विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेज पास कराने की तैयारी कर रहा है. इसके पास होते ही उपभोक्ताओं को कम लागत में बिजली का कनेक्शन मिलेगा. नई व्यवस्था में एस्टीमेट बनाने की दिक्कत होगी समाप्त.

साथ ही ऑनलाइन पैसा जमा करने के साथ ही कनेक्शन भी मिल जाएगा, जिसमें 250 मीटर की दूरी तक एस्टीमेट की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी. फिलहाल 40 मीटर से अधिक दूरी पर उपभोक्ताओं को एस्टिमेट जमा कराना पड़ता है. फिलहाल 2 किलो वाट के कनेक्शन के लिए 100 मीटर तक 21422 रुपए की लागत है. नई व्यवस्था में मात्र 2522 रुपए जमा कराने होंगे.

STAG INTERNATIONAL
Manufacturers & Exporters of:
Sports Goods
A-19/20, Udyog Puram, Delhi Road, Meerut- 250103
Ph. No.: 0121-2440976, 2440993, 2441035
Fax: 0121-2441009
Email: stagin@gmail.com, Info@stag.in

अपराध की श्रेणी से बाहर होंगी छोटी-छोटी गलतियां, मुकदमेबाजी से मिलेगा छुटकारा

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डीपीआईआईटी व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की योजना बना रहा है. इसके लिए वह विभिन्न विभागों के लगभग 100 नियमों और कानूनों पर काम कर रहा है.

DPIIT ने कहा, यह कवायद जन विश्वास बिल के तहत दूसरे चरण का हिस्सा है. जन विश्वास अधिनियम ने 19 मंत्रालयों या विभागों में पिछले साल 183 आपराधिक से बच सकें.

प्रावधानों को समाप्त कर दिया था. जन विश्वास विधेयक की समीक्षा करने वाली संयुक्त संसदीय समिति ने नियामक ढांचे के निरंतर आधुनिकीकरण को सुनिश्चित करते हुए इस अभ्यास को आगे के अधिनियमों तक बढ़ाने की सिफारिश की है. DPIIT कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए जन विश्वास 2.0 बिल लाने की तैयारी कर रहा है.

मुकदमेबाजी से मिलेगा छुटकारा

हाल में विवाद से विश्वास योजना 2.0 को अधिसूचित किया गया था. इसका उद्देश्य आयकर से जुड़े विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना है. इसके तहत करदाताओं को लंबित आयकर मामलों को निपटाने का एक मौका दिया जाता है, ताकि वे कानूनी लड़ाई व जुर्माने

SARU COPPER ALLOY SEMIS PVT. LTD.

Manufacturer & Exporters of:

Continuous Cast Cold Drawn Copper Alloy Rods & Bars in Sizes upto 160 mm to all National and International Specifications in Standard Length of 3 mt.

Saru Nagar, Sardhana Road, Meerut- 250001
Ph. No.: 0121-2556279, 2554126, 2554160
Fax: 0121-2558402
Email: sales@sarucopper.com, info@sarocopper.com
Website: www.sarucopper.com

New Rules: त्योहारी सीजन से पहले बदल रहे हैं कई नियम; बचत, ई-कॉमर्स से लेकर शेयर बाजार तक में अहम बदलाव

लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में संशोधन होगा। बदलाव एक अक्तूबर से दिसंबर तक के लिए लागू होगा। ब्याज दरें घटाने का जो चक्र शुरू हुआ है, ऐसे में इन पर भी दरें कम हो सकती हैं। इससे आपकी बचत पर असर होगा।

त्योहारी सीजन शुरू होने के बीच एक अक्तूबर से टैक्स, बीमा, निवेश, बचत योजनाओं में कई नियम बदलने वाले हैं। ये बदलाव आप पर सीधा असर डालेंगे। ये बदलाव हैं...

लघु बचत की ब्याज दरें बदलेंगी

लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में संशोधन होगा। बदलाव एक अक्तूबर से दिसंबर तक के लिए लागू होगा। ब्याज दरें घटाने का जो चक्र शुरू हुआ है, ऐसे में इन पर भी दरें कम हो सकती हैं। इससे आपकी बचत पर असर होगा।

विवाद से विश्वास योजना फिर से

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) विवाद से विश्वास योजना फिर शुरू करेगा। इससे कर विवादों का समाधान, मुकदमेबाजी और संबंधित लागत को कम करने में मदद मिलेगी। योजना 31 दिसंबर तक चलेगी।

जीवन बीमा पॉलिसी के पैसे पर कम टैक्स

धारा 194डीए : जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता या किसी आकस्मिकता पर मिलने वाली रकम पर अब 2% टीडीएस कटेगा। पहले यह 5% था।

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com

Mobile No.: 9837031861, 9927025661

पॉलिसी सरेंडर पर ज्यादा मूल्य

पॉलिसी सरेंडर करने पर अब ज्यादा पैसा वापस मिलेगा, भले ही पहले वर्ष के बाद ही सरेंडर हो। पहले इसमें कोई पैसा नहीं मिलता था।

किराये पर टीडीएस 5 से घटकर 2 फीसदी हुआ

धारा 194आईबी : कुछ व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार अगर मासिक 50,000 रुपये किराया देते हैं, तो अब इस पर मकान मालिक को टीडीएस दो फीसदी ही काटना होगा। पहले यह पांच फीसदी था। इससे मकान मालिक को अब ज्यादा पैसा मिलेगा।

अचल संपत्ति पर 1% टीडीएस

धारा 194आईए : अचल संपत्ति की कीमत या स्टांप शुल्क का मूल्य अगर 50 लाख रुपये या इससे ज्यादा है, तो उस पर 1% टीडीएस कटेगा। भले ही इसे 10 लोग मिलकर खरीदें या एक व्यक्ति।

ई-कॉमर्स पर सामान बेचने पर राहत

धारा 194ओ : अब ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल 0.01% टैक्स काटना होगा, जो पहले एक फीसदी था। विक्रेताओं पर वित्तीय बोझ कम होगा।

खुदरा कर्जदारों को ज्यादा स्पष्टता

आरबीआई के नए नियम के तहत, बैंकों व एनबीएफसी को कर्ज देते समय सभी चीजें कर्जदार की भाषा में आसान तरीके से बतानी होंगी। इसमें कर्ज की लागत, ब्याज, शर्तें व अन्य शुल्कों शामिल हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

PASWARA PAPERS LTD.

Paswara Border, N.H. 58, Delhi Road,
Mohiuddinpur, Meerut (U.P.)
Tel. 0121-4020444, 4056536
Web: www.paswara.com
E-mail: vk@paswara.com

A Pioneer Unit for Manufacturing of:

"MULTILAYER KRAFT PAPER, M.G. KRAFT PAPER & KRAFT BOARD"

बीमा में बीमारी की प्रतीक्षा अवधि घटी

स्वास्थ्य बीमा लेने पर अब अधिकतम करने पर ज्यादा भुगतान भी मिलेगा।

प्रतीक्षा अवधि तीन साल होगी। पहले चार साल थी। पुरानी पॉलिसी के नवीनीकरण के समय भी यह लागू होगा।

बायबैक : अब निवेशकों को देना होगा टैक्स

शेयर बायबैक में अब निवेशकों को 20% टैक्स देना होगा। पहले इसे कंपनियां देती थीं और निवेशक की आय करमुक्त होती थी। बायबैक आय को अब लाभांश माना जाएगा।

बोनस इश्यू रिकॉर्ड तारीख से दो दिन में उपलब्ध होगा

सेबी के नए नियमों के मुताबिक, बोनस

इश्यू रिकॉर्ड तारीख से दो दिन बाद कारोबार के लिए उपलब्ध होंगे। अभी दो सप्ताह लगते हैं।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals, Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:	Regd. Office:
303-A, Industrial Area, Partapur Centre,	204, M.J. Shopping
Meerut- 250103 (U.P.) India	3, Veer Savarkar Block,
Ph.: 91-121-2440711	Shakarpur, Delhi-
110092	
Email: lionramkumar@gmail.com	Ph.: 91-11-22217636

UP Government Offers 50% Subsidy On CNG Generators For MSMEs

The Uttar Pradesh government, led by Chief Minister Yogi Adityanath, has approved measures aimed at reducing pollution from industrial generators while providing financial relief to entrepreneurs in the micro, small, and medium enterprise (MSME) sector.

In a decision approved by the state cabinet, the Industrial Development Department has announced a 50 per cent subsidy on the purchase of new CNG-powered generators for MSME owners. This subsidy will apply to generators priced up to five lakh rupees.

Additionally, the government has mandated the installation of pollution control devices on existing diesel generators.

MSME owners now have the option to either retrofit their current diesel generators with these devices or transition to CNG-powered alternatives.

MSME Minister Rakesh Sachan stated that these measures have received approval from the National Air Quality Management Organisation. The initiative comes in response to a court petition regarding industrial pollution in the National Capital Region and surrounding areas.

"This decision aims to provide relief to entrepreneurs while addressing the broader issue of air pollution," Minister Sachan explained.

The move is expected to have a dual impact as it will ease the financial burden on small business owners and contribute to improved air quality in industrial areas.

The government anticipates that these measures will help balance economic growth with environmental concerns in the state's industrial sector.

DGFT Announces Extended Import Window For Electronics, New Rules From 2025

The Directorate General of Foreign Trade (DGFT) has announced an extension of the current import management system (IMS) for personal computers, laptops, and tablets until December 31, 2024.

This decision, communicated via a circular on September 24, allows for the continued free import of these electronic devices throughout the coming year.

Starting January 1, 2025, a new regulatory framework will be implemented. Importers will be required to apply for fresh authorisations under guidelines yet to be detailed by the DGFT.

The circular states, "Importers would be required to apply for fresh authorisations for the period of 01.01.2025 subject to detailed guidance to be provided shortly."

Manufacturers who have already received import authorisations set to expire on September 30 will see their permits extended until the end of 2024, as per the circular.

This extension provides relief to an industry that has been anticipating updates on future import policies with some concern.

The government's approach to electronics imports has seen significant shifts over the past year. In August 2023, India announced restrictions on the free import of laptops, tablets, and personal computers, introducing a licensing requirement.

This policy aimed to boost domestic manufacturing and secure supply chains, given India's substantial reliance on imported electronics.

However, the move faced opposition from global tech giants, including Dell, Acer, Samsung, Panasonic, Apple, Lenovo, and HP, who argued it would disrupt their operations.

In response, the government rolled back the restrictions the following month, extending the free import window by a year to September 2024.

The tech industry's reaction to the latest extension has been cautiously optimistic.

As the deadline approaches, the industry awaits further details on the new import authorisation scheme, with hopes for a collaborative approach between the government and stakeholders in shaping India's electronics import policy.

FIEO Urges Government to Extend Interest Equalisation Scheme for Exporters by 5 Years

The Federation of Indian Export Organisations (FIEO) has called on the government to extend the Interest Equalisation Scheme, or loan subsidy for exporters, by another five years.

The scheme, which has seen multiple extensions, is slated to end on September 30, 2024. With global demand remaining subdued and geo-political conflicts disrupting trade, FIEO believes that the extension will offer much-needed support to India’s struggling exporters.

Ajay Sahai, Director General of FIEO, addressed the media on the sidelines of an industry event, where he underscored the critical importance of the scheme.

“Without the interest equalisation scheme, some Indian exporters may not be able to fulfill overseas shipment demands. Losing this financial support could lead to a loss of both markets and orders,” Sahai warned.

The Interest Equalisation Scheme was first introduced in April 2015 to help exporters offset high domestic credit costs. Initially, the scheme provided a 3 per cent interest subsidy for labour-intensive and MSME sectors.

Over time, it was expanded: in November 2018, the subsidy was increased to 5 per cent for MSMEs, and merchant exporters were brought under its ambit in January 2019.

The scheme has since played a vital role in ensuring competitiveness for Indian exporters, who face a significantly higher credit cost compared to countries like Japan, China, South Korea, and Singapore.

"Given India's bank rate of 6.5 per cent, local credit costs are 5-6 per cent higher than major export-oriented nations. This disparity poses a challenge for our exporters to compete globally,” Sahai added.

FIEO President Ashwani Kumar highlighted another concern for exporters—the rising cost of transportation due to ongoing disruptions in the Red Sea.

These issues, he noted, are compounding existing financial challenges for exporters and further reinforce the need for the government's intervention.

In a bid to support small and medium-sized enterprises (SMEs) engaged in international trade, FIEO also signed a collaboration agreement with trade finance firm Stenn.

Noel Hillman, Stenn's Chief Commercial Officer, remarked, "Our partnership with FIEO is a commitment to help Indian exporters grow globally. By offering flexible financing solutions and mitigating payment risks, we aim to enable SMEs to scale faster and compete with larger players."

The export body remains hopeful that the government will announce the extension of the scheme, ensuring stability for India's export sector amidst global uncertainties.

RoDTEP scheme extended by a year, rates lowered

The government on Monday extended the period of its flagship export promotion scheme Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) for a year till September 30, 2025 but revised the rates downwards so that the outgo remains within the budgetary allocation. The lower rates may mean that tax remission for exporters is not full, and could hit them at a time shipments are facing a slowdown.
The exports from the units in the Domestic Tariff Area (DTA) – units that are not in special economic zones (SEZ) or are designated export oriented units (EoU) – will be eligible for incentives till September 30 next year. For export of products by Advance Authorisation holders, SEZ units and EoUs the scheme has been extended till December 21, 2024, a notification by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT).
Advance Authorisation allows exporters duty free import of inputs for production of export goods.
"To adhere to the approved budget under the scheme necessary changes will be made in scheme benefits, including revisions and deletions in eligible RoDTEP export items, rates, per unit value cap and other measures as and when required," the notification said.

The new rates of refund of taxes range from 0.3% to 3.9%, which is lower than 0.5% to 4.3% that prevailed prior to the latest extension. New rates on the recommendations of the RoDTEP committee are being notified from October 10.
The scheme, which was first introduced in 2021, will cover exports of 10,642 products. It has seen many extensions and modifications since it was first introduced. The current period of extension was expiring this month-end.
The incentive is paid in the form of transferable duty credit scrip which can be used to pay import duties or sold in the market by exporters.
The RoDTEP scheme operates under a budgetary framework and for FY 24-25, a budget of Rs 23,922 crores is available for it. In 2023-24 around Rs 14,874 crore was spent on the scheme.
The RoDTEP scheme is designed to refund duties, taxes and levies at the central, state and local level that get added to the cost of products meant for exports. It is a replacement for the Merchandise Exports from India scheme which along with other export promotion schemes were successfully challenged at the World Trade Organization by the US.

Govt extends interest equalisation scheme for MSME exporters for three months

Directorate General of Foreign Trade (DGFT) has extended the interest equalisation scheme (IES) for pre-and-post shipment rupee export credit for three months from September 30 to December 31, 2024, to support exporters. The extension applicable for MSME manufacturing exporters will be effective "with the additional condition that fiscal benefits of each MSME, on aggregate, will be restricted to Rs 50 lakhs for FY 2024-25 till December 2024," the trade notice said on Monday.

Moreover, MSME manufacturer exporters who have already availed equalisation benefits of Rs 50 lakhs or more in 2024-25 till September 30 will not be eligible for any further benefit in the extended period.

The scheme was earlier extended till September 30 from August end for MSME exporters while the claims of non-MSME exporters were accepted till June 30.

"To challenge global manufacturing leaders like China, where MSMEs contribute 60 per cent to GDP and 65 per cent to exports, Indian MSMEs must prioritize quality, innovation, and scalability. By alleviating their financial vows, the IES enables MSMEs to invest in innovation, elevate quality standards, and facilitate entry into new international markets," Kanishk Maheshwari, Co-Founder and Managing Director, Primus Partners told FE Aspire.

Launched in April 2015 and initially valid for five years till March 2020, the scheme offers an interest equalisation benefit at the rate of 2 per cent on pre and post-shipment rupee export credit to merchant and manufacturer exporters of the identified 410 tariff lines and 3 per cent to all MSME manufacturer exporters.

Last month, the government had imposed an interest subvention cap of Rs 5 crore per IEC (import-export code) for MSME manufacturers till September 30, 2024, for the current fiscal. In a trade notice on September 17, the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) announced the amendment under the Interest Equalisation Scheme (IES) with immediate effect "for rationalisation of the scheme."

Importantly, the share of export of MSME-specified products in all India exports recovered in FY24 to 45.73 per cent after three years of decline. The share had plummeted from 49.73 per cent in FY20 to 49.35 per cent in FY21, 45.03 per cent in FY22 and 43.59 per cent in FY23. As of May 2024, the share was 45.79 per cent.

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या–194/36 –3–2014–07 (न्यू0वे0)/4 दिनांकः 28–1–2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या–850/36–03 –2019 –931(न्यू0वे0)/06 दिनांकः: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी है उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुकम में निम्नाकिंत 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जनवरी 2024 से जून 2024 के औसत अंक 402 पर दिनांकः 1–10–2024 से 31–3–2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भॉति गणना करके देय होगाः–

दृष्टान्त–रूपये 5750/–प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–402 पर दिनांकः 1–10–2024 से 31–3–2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(402–216)

..... .X5750= रू0–4951/–प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी,परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें ।

कमांक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांकः1.04.2024 से 30.9.2024 तक कुल मजदूरी (रूपये में)	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू0 में	दिनांकः1.10.2024 से 31.3.2025 तक	
				दिनांकः1.10.2024 से 31.3.2025 तक	कुल मजदूरी (रूपये में) (3+5)	दैनिक मजदूरी (रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	10648	4951	10701	412
2	अर्धकुशल	6325	11713	5447	11772	453
3	कुशल	7085	13120	6101	13186	507

2 ईंट भट्ठा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी निम्नवत् हैः–

कमॉक	श्रेणी	दिनांकः1.10.2024 से 31.3.2025 तक		
1	अकुशल	उपरोक्त तालिका के कमॉक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा		
2	कुशल			
		मूल मजदूरी	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू0 में	कुल मजदूरी(रूपये में)
2	पथेरा	रू0–365	रू0–314	रूपया–679/– प्रति हजार
	भराईवाला			
	(1) 500 मीटर की दूरी तक	रू0–110	रू0–95	रूपया–205/– प्रति हजार
	(2) 500 मीटर से अधिक	रू0–132	रू0–114	रूपया–246/– प्रति हजार
3	निकासी वाला	रू0–110	रू0–95	रूपया–205/– प्रति हजार

1 रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और टयूब सहित) के उद्योग।
2 प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
3 मिष्ठान उद्योग।
4 वासित पेयो(एरोटेड ड्रिक्स) के विनिर्माण।
5 फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6 परतदार लकड़ी(प्लाईवुड) के उद्योग।
7 पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
8 डेरी और मिल्क डेरी।
9 सिल सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10 बॉध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11 उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नही किया गया है।
12 प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
13 ढलाई घर।
14 धातु उद्योग।
15 टिन प्लेट शॉपिग और टिन प्रिंटिंग।
16 ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
17 चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माणशाला।
18 चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19 होजरी सकर्म।
20 निजी पुस्तकालय।
21 काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22 प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित है।
23 तम्बाकू विनिर्माण।
24 धर्मशाला।

25 वानिकी(फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
26 दुकानों में
27 वाणिज्य अधिष्ठानों में।
28 चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29 तेल मिल।
30 लोक मोटर परिवहन।
31 यांत्रिक परिवहन कर्मशाला।
32 आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संक्रियाओं।
34 पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35 चिकन के कार्य।
36 दियासलाई उद्योग।
37 आइसकैण्डी / आईसक्रीम विनिर्माणशाला।
38 बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
39 बर्फ विनिर्माणशाला।
40 एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशचला।
41 लाण्ड्री और धुलाई अधिष्ठान।
42 जिल्दसाजी।
43 कोल्ड स्टोरेज।
44 पाटरी, सिरैमिक्स या रिफैक्ट्रीज।
45 निजी मुद्रणालय।
46 सिनेमा उद्योग।
47 कपड़ा छपाई।
48 सिलाई उद्योग।
49 ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मेसी।
50 क्लब
51 हथकरघा(सिल्क की साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
53 ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान
54 खाण्डसारी।
55 हथकरघा उद्योग।
56 शक्ति चालित करघा उद्योग।
57 छोटा(मिनिएचर) बल्ब एवं कॉच उत्पादों के निर्माण।
58 कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
59 ईंट भट्ठा उद्योग।
60 ताला उद्योग के नियोजन में।
61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
62 किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित / हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
63 बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रतिशेध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निषिद्व किंया-कलाप सम्मिलित नही है।
64 घरेलू कामगारों का नियोजन।
65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
66 एल0पी0जी0वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
67 टैक्सीज, आटोरिक्शा / टैम्पों एवं ट्रैवलिंग अभिकरण में नियोजन।
68 केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
69 गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ0) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
70 विकय संवर्धन(विकय संवर्धन(सेवा शर्तें) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
71 हेयर कटिंग सैलून एवं ब्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायें) में नियोजन।
72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
73 काल सेन्टर / आई0टी0 इण्डस्ट्रीज / टेलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
74 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हो, में नियोजन।

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 801-07 प्रवर्तन-(एम0डब्लू0) / 15 दिनांकः01/10/2024

1 समस्त क्षेत्रीय अपर / उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजको व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
2 अनुसचिव,उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ।
3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेलwagecell@nic.in के माध्यम से
4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0),मुख्यालय, कानपुर।
6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर),मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर / उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

01.X.2024

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।